देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR ™
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/60 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 8 अप्रैल 2021

जे.डी.ए. में रहन रखे ग्रुप हाऊसिंग की जमीन पर रिसोर्ट और सुविधा क्षेत्र की जमीन पर बना दिया रिसोर्ट का गार्डन!!!!

भाग-4

मामला उजागर होने के छह माह बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे है जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारी!!!

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्व प्रेरित मामले डी.बी. सिविल रिट पिटीशन 7688/2019 में दिए गए निर्णय की जिम्मेदार अधिकारी कर रहे अवमानना!!!

जे.डी.ए. ज़ोन-8 में स्थित महाराजा किशन सिंह नगर में संचालित अवैध राज आंगन रिसोर्ट/हवेली रलावता

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा / प्र.शा. / प्र0अ0 / जोन–8 / 2019 / डी–　　　　　　　　दिनांक :

रिपोर्ट – अतिक्रमण. / अवैध निर्माण

(निजी खातेदारी / सहकारी समिति की अनुमोदित योजनाओं हेतु प्रपत्र)

आज दिनांक 25.10.2020 को निरीक्षण के दौरान पाया कि श्री .... ने जयपुर विकास प्राधिकरण की अनुमोदित योजना महाराजा किशन सिंह नगर के जविप्रा स्वामित्व की ~~सड़क~~ / सुविधा / सेटबेक / अन्य रहन का भूखण्ड .... क्षेत्रफल 3356.70 Sq yds facility व 12240.20 वर्ग. Group Housing. पर अतिक्रमण / अवैध निर्माण किया हुआ है। जिसका विवरण तथा नजरी नक्शा निम्नानुसार है :–

{ अतिक्रमण का विवरण }

निजी खातेदार योजना महाराजाकिशन सिंह नगर के सुविधा क्षेत्र पर टीनशेड युक्त कमरे बनाकर एवं शेष भाग को पार्किंग हेतु, उपयोग मे लेने हेतु अतिक्रमण कर लिया है। साथ ही अपने स्वामित्व के ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड जो जविप्रा मे रहन मे है पर मैरिज गार्डन रिसोर्ट बनाकर व्यावसायिक उपयोग, बैगर बिल्डिंग-नक्शा अनुमोदन के, कर रहा है जो अवैध है।

नजरी नक्शा

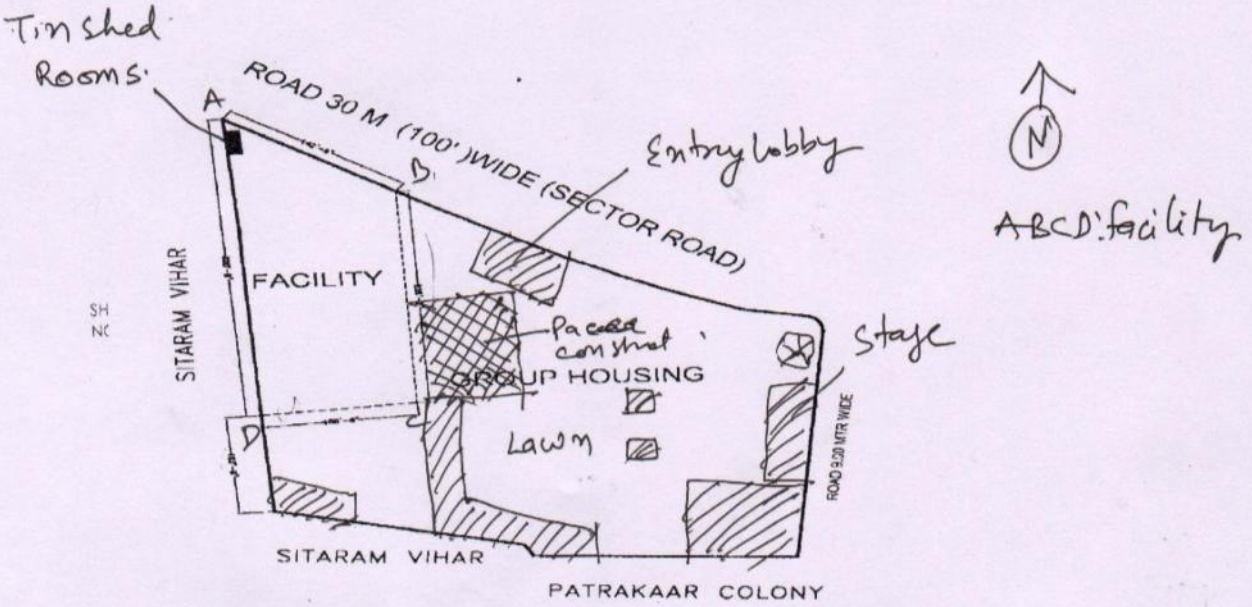

27.10.2020

कनि0 अभियन्ता　　　　सहायक नगर नियोजक　　　　प्रवर्तन अधिकारी

ज़ोन-8 की रिपोर्ट

ज़ोन-8 की रिपोर्ट से खुलासा!!!महाराजा किशन सिंह नगर की फेसेलिटी और ग्रुप हाउसिंग की जमीन पर चल रहा अवैध रिसोर्ट " राज आंगन/होटल रलावता"

हमारे द्वारा महाराजा किशन सिंह नगर की फेसेलिटी और ग्रुप हाउसिंग की जमीन पर चल रहे अवैध रिसोर्ट " राज आंगन/होटल रलावता" के मामले को राज्य के मुख्य सचिव से लेकर जे.डी.ए. ज़ोन-8 के प्रवर्तन अधिकारी तक के निजी संज्ञान में लाया गया,तत्पस्च्यात जे.डी.ए द्वारा की गयी आनन-फानन कार्यवाही में ज़ोन से अवैध निर्माण के सम्बन्ध में चिन्हीकरण रिपोर्ट प्राप्त की गयी|चिन्हीकरण रिपोर्ट में ज़ोन के AEN द्वारा खुलासा किया गया कि महाराजा किशनसिंह नगर के सुविधा क्षेत्र की 3356.70 वर्ग गज जमीन पर टीन शेड/झोपड़ियाँ डालकर एवं शेष जमीन पर पार्किंग कर कब्ज़ा किया गया है साथ ही जे.डी.ए. में ही रहन रखी हुई 12240वर्ग गज ग्रुप हाउसिंग की जमीन पर बिना लीज-डीड,नक़्शे अनुमोदन के रिसोर्ट/मैरेज गार्डन का संचालन किया जा रहा है जो कि अवैध है|अग्रीम कार्यवाही प्रवर्तन शाखा द्वारा की जानी है|

राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश;

सुविधा क्षेत्र,पार्कों,सड़कों,फुटपाथों से तुरंत हटाये जाए अवैध निर्माण/अतिक्रमण

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मोनिटरिंग कमिटी का गठन

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्व प्रेरित मामले डी.बी. सिविल रिट पिटीशन 7688/2019 में दिए गए अंतरिम निर्णय में जे.डी.ए.,नगर निगम सहित अन्य सभी जिम्मेदार विभागों को तत्काल प्रभाव से निजी सहकारी संस्थाओं द्वारा काटी गयी कोलोनियों में आम जन की सुविधा हेतु छोड़े गए सुविधा क्षेत्रों,पार्कों,सड़कों,फुटपाथों व अन्य सार्वजानिक स्थानों पर हो रहे अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी किये है|साथ ही ऐसे मामलों में प्रभावी मोनिटरिंग करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमिटी का गठन कर, हर माह मोनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए है|

9 नवम्बर से पत्रावली जोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री श्रीचंद सिंह के पास लंबित|

गौरतलब है कि उक्त पत्रावली दिनांक 09/11/2020 से ज़ोन-8 के प्रवर्तन अधिकारी श्री श्रीचंद सिंह के पास लंबित है,जानकारी के अनुसार उनके द्वारा इस अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अवैध निर्माणकर्ता को नोटिस भी जारी किये है जिसके सन्दर्भ में अवैध निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब का ज़ोन से परिक्षण करवाया जा रहा है| (अब यह नोटिस 32,33 के तहत दिए गए है या फिर धारा 72 के तहत इसकी जानकारी ज़ोन के जिम्मेदार नहीं दे पा रहे है) परन्तु इस प्रक्रिया की इतनी धीमी कछुआ चाल है कि छह महीने गुजर जाने के बाद भी मामला वहीँ का वहीँ है और अवैध निर्माणकर्ता बदस्तूर अतिक्रमित जमीन पर रिसोर्ट का गार्डन चला रहा है|

मुख्य सचिव से लेकर जे.डी.ए. के हर जिम्मेदार अधिकारी को इस मामले की जानकारी परन्तु कार्यवाही के नाम पर जीरो

हमारे द्वारा इस गंभीर मामले को राज्य के मुख्य सचिव से लेकर जे.डी.ए. के हर आला अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता रहा है परन्तु इसके बावजूद छह माह गुजरने के बावजूद इस अवैध निर्माण पर कोई कार्यवाही नहीं होना,सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है|यह स्थिति तो तब है जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटीशन 7688/2019 में दिए गए अंतरिम निर्णय में जे.डी.ए.,नगर निगम सहित अन्य सभी जिम्मेदार विभागों को तत्काल प्रभाव से निजी सहकारी संस्थाओं द्वारा काटी गयी कोलोनियों में आम जन की सुविधा हेतु छोड़े गए सुविधा क्षेत्रों,पार्कों,सड़कों,फुटपाथों व अन्य सार्वजानिक स्थानों पर हो रहे अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी किये है|साथ ही ऐसे मामलों में प्रभावी मोनिटरिंग करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमिटी का गठन कर, हर माह मोनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए है|

जवाब मांगते सवाल?

1. जे.डी.ए. की फेसेलिटी की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की जाती है?उसे सील किया जाता है या फिर ध्वस्त किया जाता है? प्रवर्तन शाखा द्वारा अवैध रिसोर्ट संचालक और सार्वजानिक भूमि पर अतिक्रमण करने के विरुद्ध धारा 32 का नोटिस दिया गया है या फिर धारा 72 का?
2. इस योजना की ग्रुप हाउसिंग की जो संपत्ति जे.डी.ए.के पास रहन रखी हुई है उस पर चल रहे अवैध रिसोर्ट पर जे.डी.ए. क्या कार्यवाही करेगा?जिस प्रयोजनार्थ यह जमीन रहन रखी गयी थी क्या वह प्रयोजन विकासकर्ता द्वारा पूर्ण कर लिया गया है?
3. शहर की प्रमुख कॉलोनी में चल रहे इस अवैध रिसोर्ट पर आज दिन तक,जिम्मेदारों की नजर क्यों नहीं पड़ी?क्या आज से पहले किसी जागरूक नागरिक द्वारा इस अवैध निर्माण की शिकायत नहीं की गयी थी?या फिर उसे दबा दिया गया था?
4. जे.डी.ए की प्रवर्तन शाखा द्वारा इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की डेडलाईन क्या निर्धारित की गयी है?
5. कहीं जे.डी.ए. प्रवर्तन के अधिकारी श्री श्रीचंद सिंह इस अवैध रिसोर्ट को राहत देने की फिराक में तो नहीं है?
6. राज्य के मुख्य सचिव तक इस मामले की जानकारी होने के बावजूद इस अवैध रिसोर्ट के विरुद्ध कार्यवाही की इतनी धीमी प्रक्रिया क्यों है?
7. आखिर क्यों मुख्य सचिव से लेकर जे.डी.ए. के सभी जिम्मेदार अधिकारी डी.बी. सिविल रिट पिटीशन 7688/2019 में दिए गए अंतरिम निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहे है?